

(सारी प्रवेशित अधिकारियों हेतु)

(250/- के नानज्योडशियल रदाना पर निष्पादित कर नाटरी द्वारा स्वत्वाधित किया जाए) छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी
छत्तीसगढ़ के विवितसा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर घोषणाक्रम में प्रवेश हेतु आमंत्रित हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन रचास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक **एफ21-01/२०१८।तो।/५५-५** "छत्तीसगढ़ चिकित्सा उनात्मकात्म प्रवेश नियम - २०३१" को गली-भाँति **०९५६८८-२०७** पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्यप/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-

- (क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय विकित्सा परिषद द्वारा इस गीजायिक तरीके हेतु प्रवेश की निर्धारित अवधि के उपरान्त मेरे द्वारा प्रवेशित चीट दो लाग पत्र दिया जाता है तो रु. 25 लाख (पच्चीस लाख रु.) तथा तीन/दो वर्षों तक प्रशासन किये जाने वाले स्टायरेंग्ड राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।
- (ख) मैं इस मान्य से भी शहदत हूं कि पात्तणम अवधि के दौरान मार्दि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए भारतीय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त चारोंका में वर्णित दायि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।
- (ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।
- (घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


गवाह : —

हस्ताक्षर

1 हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता


2 हस्ताक्षर




आवेदक
जा.
फोटो



प्रतिभूतिकर्ता
जा.
फोटो



गवाह नं
1 जा.
फोटो



गवाह नं
2 जा.
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी
उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में चलनीश्च राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

N.K. Jaiswal

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता